आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
19/2/25		

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की, विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर० वाद सं०-432/2007-08

दिनेश मुण्डा, पिता–स्व०बन्धु मुण्डा, वगैरह .. प्रथम पक्षगण

–बनाम–

सुनील कुमार महतो, पिता–जगराम महतो वगैरह .. द्वितीय पक्षगण

आदेश

प्रथम पक्षगण (1) दिनेश मुण्डा, पिता–स्व० बन्धु मुण्डा, (2) जगदीश मुण्डा (3) भोजन मुण्डा, (4) सुकरा मुण्डा, तीनों के पिता स्व० हरिया मुण्डा, सभी निवास ग्राम–चरही, थाना–पिठोरिया, जिला राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। प्रथम पक्षगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। प्रथम पक्षगण ने आरोप लगाया है कि उनकी निम्नांकित जमीन द्वितीय पक्षगण–(1) कमल महतो, पिता–स्व० माधो महतो, (2) रंजीत महतो, (3) कंचन महतो, दोनों के पिता–स्व० चामु महतो, सभी निवास ग्राम–चरही जमुवा टोली, थाना–पिठोरिया, जिला राँची द्वारा छल–प्रपंच से हड़पकर दखल कर लिया हैं।

विवादित जमीन का विवरण

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
कुम्हारिया	34	57	719, 981, 928, 1261, 1805, 1932, 1881, 1882	6.32 एकड़

प्रथम पक्षगण ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत जमीन रिवीजनल सर्वे खतियान में पंचु मुण्डा वगैरह के नाम से दर्ज है। द्वितीय पक्षगण ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल–प्रपंच से जबरन जमीन पर कब्जा कर प्रथम पक्षगण को बेदखल कर दिया है।

Mi- 19/2/25

कृ०पृ०उल्टे

19/2/25

इसी को आधार मानते हुए कारण पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया, तथा संबंधित अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

प्रथम पक्षगण ने अपने आवेदन एवं लिखित बहस में वर्णन किया है कि विवादित भूमि मौजा–कुम्हारिया, थाना सं०–34, खाता सं०–57 में पंचु मुण्डा, वो अघनु मुण्डा वो डोम्बा मुण्डा वो लेदवा मुण्डा पेशरान शनिचरवा मुण्डा, कौम मुण्डा साकिन देह बहिशा बराबर हाल दखल मंगरा मुण्डा वो चामु मुण्डा पेशरान सोरंगा मुण्डा कौम मुण्डा साकिन चरदी मीनजानीब रैयत जो 1915 ई० में जीमा देकर जिला रामशाही, बंगाल चला गया है, आर०एस०सर्वे खतियान में दर्ज है।

आवेदकगण दावा करते है कि वे खतियानी रैयत के वंशज है। द्वितीय पक्षगण फर्जी कागजात बनाकर भूमि पर दखलकार है। इस न्यायालय में वाद की सुनवाई के बाद तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी ने दिनांक–14.07.2008 को भू–वापसी का आदेश पारित किया जा चुका है। तत्पश्चात अंचल अधिकारी, कांके के द्वारा मालगुजारी रसीद निर्गत किया। इसी के आधार बनाते हुए द्वितीय पक्षगण को बेदखल करते हुए, पुनः आवेदक को भू–वापसी का आदेश पारित किया जाय।

द्वितीय पक्षगण की ओर से सुनील कुमार महतो के द्वारा समर्पित लिखित बहस में वर्णन किया है कि विवादित भूमि के खतियानी रैयत पचु मुण्डा वगैरह सन् 1915 में जिला रामसाही बंगाल चले गए, जो खतियान में भी अंकित है। उक्त भूमि की खतियानी रैयत नहीं रहने के कारण खेवट सं०–1 का मालिक जमीन्दार महाराजा प्रताप उदय नाथ शाहदेव, तथा जमीन्दार ने विवादित भूमि का रैयत के अभाव में निबंधित कबुलियतनामा सं०–4309 के द्वारा दिनांक–22.06.1948 को माधो महतो, पिता–स्व० रति महतो, निवासी–चरदी, हाल थाना–पिठोरिया, जिला–राँची को निबंधित कबुलीयतनामा लिख दिया गया। निबंधित कबुलियतनामा जिला अवर निबंधक कार्यालय, राँची के बुक सं०–01 भोलुम सं०–32 पेज सं०–432 से 435 वर्ष 1948 में दर्ज है। पुनः भूतपूर्व जमींदार के द्वारा दिनांक–20.08.1948 को विवादित

[signature] 19/2/25

19/2/25

भूमि का हुकुमनामा निर्गत कर माधो महतो को दखल कब्जा दे दिया। तत्पश्चात माधो महतो के नाम से दिनांक–19.08.1949 एवं 15.9.1951 को जमींदारी मालगुजारी रसीद निर्गत किया था, तथा जमीन्दारी उन्मूलन के बाद से संबंधित अंचल कार्यालय के पंजी–II के भाग सं०–01, पेज सं०–57 में माधो महतो, पिता रति महतो ने अपने नाम से प्रविष्टि करते हुए वर्ष 1960–61, 1968–69, 1975–76, 1991–92, 2008–09, 2011–12 एवं 2015–16 में सरकारी लगान रसीद भी प्राप्त किया गया है, माधो महतो प्रश्नगत भूमि पर शांति पूर्वक अपने जीवनकाल तक खेती–बारी करते हुए दखलकार रहें। तत्पश्चात माधो महतो अपने पीछे दो पुत्र चामु महतो और कमलनाथ महतो छोड़कर स्वर्गवास हो गये, पिता की मृत्यु के बाद दोनो पुत्रगण विवादित भूमि पर शांति पूर्वक दखलकार होकर खेती–बारी करते रहें। जो इस वाद में द्वितीय पक्षगण सं०–1 है। चामु महतो भी अपने पीछे दो पुत्र रंजीत महतो और कंचन नाथ महतो को छोड़ गए हैं, जो इस वाद के द्वितीय पक्षगण सं०–02 और 03 है। कमल नाथ महतो भी अपने पीछे तीन पुत्र–बरतु महतो वो विशेश्वर महतो और जगराम महतो को छोड़कर स्वर्गवास हो गये। पूर्व में इस वाद में द्वितीय पक्षगण की ओर से न्यायालय में उपस्थिति दर्ज नहीं किये और ना ही किसी तरह बहस कार्यो में हिस्सा लिया गया। इस कारण द्वितीय पक्षगण के अनुपस्थित रहने के वजह से आवेदकगण के नाम से तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी के द्वारा दिनांक–14.07.2008 को एकतरफा फैसला करते हुए भू–वापसी का आदेश पारित किया गया। तत्पश्चात् संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा आवेदकगण को विवादित भूमि दखल दिलाने का नोटिस द्वितीय पक्षगण को प्राप्त हुआ। नोटिस तामिला के बाद द्वितीय पक्षगण क्र०–01 की ओर से कमलनाथ महतो ने तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी के द्वारा दिनांक–14.07.2008 को भू–वापसी का पारित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं०–2375/2011 कमलनाथ महतो बनाम राज्य सरकार में नाम से रिट दाखिल किया गया। माननीय उच्च न्यायालय में वाद की सुनवाई के दौरान ही कमलनाथ महतो की मृत्यु हो गयी। कमलनाथ की मृत्यु के बाद इसी वाद में सी०एम०पी०सं०–270/2013 के द्वारा सुनील कुमार महतो को

कृ०पृ०उल्टे

19/2/25

19/2/25

पक्षकार बनाया गया। उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान ही बरतु महतो वगैरह ने भी तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी के द्वारा दिनांक–14.07.2008 को भू–वापसी का पारित आदेश के विरूद्ध उपायुक्त, राँची के न्यायालय में एस०एस०आर० अपील वाद सं०–03R15/2013-14 दायर किये।

तत्पश्चात माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रिट याचिका सं०–2375/2011 में दिनांक–24.06.2013 को अपना आदेश पारित किया कि– In view of the above facts and circumstances. Order dated 14.07.2008 (Annexure-7) passed in S.A.R. Case No. 432 of 2007-08 is order to be quashed and also the notice issued by the Circle Officer, Kanke date 12.07.2008 ia also ordered to be quashed as the same has been issued on the basis of order passed in S.A.R. Case No.432/07-08. विशेष विनियमन पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध उपायुक्त महोदय ने निम्न आदेश पारित किये हैं कि– On perusal of record, I find that, apart from preferred the instant appeal, the appellant No. 01 has preferred a Writ Application being WP (C) No.-2375 of 2011 before the Hon'ble High Court for quashing and setting aside the impugned order dated 14-07-2008 passed in the impugned case, wherein and where under the Hon'ble High Court vide its order dated 24-06-2013 quashed the order Passed in the impugned case being SAR Case No.-432 of 2007-08 and has directed the Learned Courts below for de novo Proceeding after giving opportunity to the parties.

Hence, the impugned case is remitted back to the Learned Special Officer, Schedule Area Regulation, Ranchi to pass afresh order giving reasonable opportunity to the parties concerned. यह आदेश पारित करते हुए विशेष विनियमन पदाधिकारी को पुनः सुनवाई हेतु Remand Back किया गया है। पुनः विशेष विनियमन पदाधिकारी से नोटिस प्राप्त होने के पश्चात द्वितीय पक्षगण सुनील कुमार महतो की ओर से उपस्थिति दर्ज किया गया।

द्वितीय पक्ष सुनील कुमार महतो की ओर से यह बतलाया गया है कि तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी के द्वारा दिनांक–14.07.2008 को भू–वापसी

19/2/25

कृ०पृ०उल्टे

19/2/25

का पारित आदेश होने के बाद वर्णित भूमि की लगान रसीद आवेदकगण के नाम निर्गत किया गया है। दिनांक–14.07.2008 आदेश के 56 वर्ष पूर्व आवेदकगण के नाम से लगान रसीद निर्गत नहीं किया गया था। आवेदकगण की ओर से यह भी आरोप लगाया है कि द्वितीय पक्षगण छल–प्रपंच से खतियानी रैयत की वर्णित भूमि को हड़प लिया है, जो सरासर गलत एवं निराधार आरोप है, जबकि आवेदकगण खतियानी रैयत के वंशज में नहीं आते है। विवादित भूमि का खतियानी रैयत नहीं रहने के कारण ही तत्कालीन भूतपूर्व जमींदार के द्वारा विवादित भूमि को द्वितीय पक्षगण के नाम निबंधित बंदोबस्ती कबुलियतनामा और हुकुमनामा लिखकर 1948 में ही दखलकार बना दिया था। द्वितीय पक्षगण विवादित भूमि पर शांति पूर्वक दखलकार रहते हुए सरकार को मालगुजारी भुगतान कर रसीद प्राप्त करते आ रहे है। तत्पश्चात आवेदकगण द्वारा वर्ष 2007–08 में वर्णित भूमि पर 59 वर्षो के बाद यह वाद दायर किया गया है, आवेदकगण का विवादित भूमि पर कभी भी मालिकाना हक एवं दखल नहीं रहा, तथा विवादित भूमि पर किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति या विरोध भी नहीं किया गया, मात्र परेशान करने की नीयत से भू–वापसी का वाद दायर किया गया। ऐसी परिस्थिति में आवेदकगण के आवेदन को खारिज करते हुए, द्वितीय पक्षगण को न्याय दिया जाय।

उभय पक्ष की ओर से गवाही प्रस्तुत किया गया। प्रथम पक्ष की ओर छः लोगों द्वारा तथा द्वितीय पक्ष की ओर से चार लोगों के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी–अपनी गवाही दी गई और इसका प्रति–परीक्षण किया गया है। प्रथम पक्षगण की ओर से प्रस्तुत गवाही में कहा कि वर्णित भूमि आवेदकगण की खतियानी भूमि है, जबकि द्वितीय पक्षगण की प्रस्तुत गवाह ने कहा है कि विवादित भूमि आवेदक की खतियानी भूमि नहीं है और ना ही खतियानी रैयत के वंशज हैं, जबकि विगत कई वर्षो से द्वितीय पक्षगण दखलकार खेती बारी करते आ रहे हैं और कुछ प्लॉट पर द्वितीय पक्ष का मकान भी है। प्रथम पक्षगण के कुछ गवाहों ने भी प्रति–परीक्षण में द्वितीय पक्षगण का दखल कब्जा बतलाया है।

अंचल अधिकारी, काँके के जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–386(ii) दिनांक–14.02.2023 में

M:- 19/2/25

कृ०पृ०उल्टे

19/2/25

प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत जमीन खतियान में पंचु मुण्डा वो अघनु मुण्डा वगैरह परपोता तथा वर्तमान में उक्त भूमि से माधो महतो, पिता रती महतो, पता कुम्हारिया, थाना पिठोरिया ने हुकुमनामा से प्राप्त किया है एवं भूमि पर द्वितीय पक्ष का खेत वो मकान है।

प्रथम पक्ष का मूल आवेदन, द्वितीय पक्ष की ओर से सुनील कुमार महतो द्वारा समर्पित कारण–पृच्छा, अंचल अधिकारी, कांके से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य कागजातों का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के गवाही एवं विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुनने के बाद यह वाद को आदेश पर रखा गया।

उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत जमीन सर्वे खतियान में पंचु मुण्डा वगैरह के नाम से दर्ज है। वर्ष 1915 ई० से वर्ष 1948 ई० तक का आवेदकगण की ओर से दखल–कब्जा और मालिकाना हक एवं अधिकार की पुष्टि हेतु किसी प्रकार का विधिक कागजात एवं साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया, और वर्ष 2008 के पूर्व संबंधित अंचल कार्यालय में नामान्तरण भी नहीं कराये तथा सरकार को मालगुजारी रसीद का भी भुगतान नहीं किये है। प्रतीत होता है कि आवेदकगण खतियानी रैयत के वंशज नहीं है। मात्र तत्कालीन विशेष विनिमयन पदाधिकारी, राँची के द्वारा भू–वापसी का आदेश प्राप्त होने के बाद ही मालगुजारी की भुगतान किया गया है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में quash किया गया है, परन्तु माधो महतो के नाम से तत्कालीन जमीन्दार ने निबंधित दस्तावेज सं०–4309 के द्वारा दिनांक–22.06.1948 को निबंधित बन्दोबस्ती कबुलियत नामा तथा वर्ष–1948 ई० में हुकुमनामा बनाकर द्वितीय पक्षगण को दखलकार बना दिये थे, तथा 1960–61 से ही द्वितीय पक्षगण की ओर से सरकार को मालगुजारी लगान रसीद भुगतान करने की पुष्टि भी की गयी है। विगत 59 वर्षो से प्रश्नगत भूमि पर द्वितीय पक्षगण वर्ष 1948 से दखलकब्जा होने और पक्का मकान होने की विधिक कागजात से भी पुष्टि होती हैं।

चूंकि प्रश्नगत भूमि का अंतरण की तिथि वर्ष 1948 ई० है, एवं अंतरण संबंधी दस्तावेजों का न्यायालय के द्वारा सत्यापन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि

19/2/25

कृ०पृ०उल्टे

19/2/25

आवेदकगण के द्वारा लगभग 59–60 वर्षो के बाद भू–वापसी का यह वाद दायर किया गया है। जबकि छोटानागपूर काश्तकारी अधिनियम के धारा–71"A" के अन्तर्गत आवेदन 30 वर्षो के अन्दर ही दायर की जानी चाहिए। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना, रांची बेंच के द्वारा प्रकाशित फैसला C.W.J.C.No.-645/1979(R) मिटकु कोईरी बनाम बिहार सरकार एवं जगेश्वर तेली बनाम बिहार सरकार (1994) (1) पी०एल०जे०आर०पृ०–91, लुकस खरीया बनाम बडाईक बहादुर सिंह 2005(3) जे०सी०आर० पृ०–132 का हवाला दिया गया। इस सभी फैसलों में माननीय पटना उच्च न्यायालय, राँची बेंच एवं माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची ने यह व्यवस्था दी है कि छोटानागपूर काश्तकारी अधिनियम के धारा–71"A" के अन्तर्गत आवेदन 30 वर्षो के अन्दर ही दायर की जा सकती है, एवं माननीय उच्चतम न्यायालय का Civil Appeal Nos. 2414-15 of 1999 Situ Sahu & Ors-vrs-State of Jharkhand के आदेश दिनांक–10.09.2004 को निम्न आदेश पारित है–

Chhotanagpur Tenancy Act, 1908, Section 71-A and 71-B Limitation Act, 1963, Article 65 Restoration of land To the members of Scheduled Tribe and Khatiyani holders-Sustainability of Power under Section 71-A could have been exercised only within a reasonable time- Exercise of powers after lapse of 40 year against the period of limitation of 30 years under the Limitation Act. Not a reasonable time for- Application for restoration not maintainable. वर्तमान वाद में आवेदक द्वारा भी आवेदन समय–सीमा के अन्दर दायर नहीं किया गया है।

अतः माननीय उच्चतम एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं विपक्षी द्वारा दाखिल साक्ष्य के आधार पर आवेदकगण का आवेदन काल–बाधित है। प्रश्नगत भूमि पर छोटानागपूर काश्तकारी अधिनियम की धारा–71"A" लागू नहीं होता है। अतः आवेदकगण का आवेदन को खारिज किया जाता है, एवं वाद को समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2025.04.07 17:14:50 +05:30
Location: 192.168.21.39

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

19/2/25
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।